भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 26

मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के मूल्यांकन की स्थिति

***26. श्री शाहू शहाजी छत्रपती:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय का विचार कोल्हापुर के महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) औद्योगिक क्षेत्रों में पूरी तरह उपयोग में नहीं लाई जा रही भूमि को अपने नियंत्रण में लेने के लिए फाउंड्री-इंजीनियरिंग और वस्त्र विनिर्माण इकाइयों के लिए कोई विशिष्ट प्रोत्साहन प्रदान करने का है ताकि रुके हुए औद्योगिक विकास और स्थानीय विनिर्माण कार्यों में कमी की समस्या का समाधान किया जा सके;

(ख) इन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है और कुल आवंटित क्षेत्र, प्रचालनात्मक इकाइयों, सृजित रोजगार और अधिसूचना रद्द करने के प्रस्ताव, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है;

(ग) कोल्हापुर औद्योगिक क्षेत्र में मध्यम स्तर के इंजीनियरिंग और फाउंड्री उद्योगों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के विस्तार के मूल्यांकन से संबंधित स्थिति तथा प्राप्त आवेदन और प्रस्तावित प्रोत्साहन स्लैब का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा वर्ष 2028 तक औद्योगिक क्षेत्र के पुनरुद्धार, 'एंकर टेनेंट' की पहचान और रोजगार सृजन संबंधी लक्ष्यों के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 26 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): उद्योग राज्य का विषय है। देश में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु ईकोसिस्टम को सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही हैं।

जैसाकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा संसूचित किया गया है, कोल्हापुर जिले में 08 औद्योगिक क्षेत्र नामत: शिरौली, गोकुल शिरगांव, गोकुल शिरगांव (पृथक), कागल हटकनंगले फाइव स्टार, गडहिंगलाज, अजारा, हलकर्णी और आईटी पार्क, कोल्हापुर स्थित हैं। 1,159.06 हेक्टेयर के कुल आवंटित क्षेत्र में, 2866 इकाइयां प्रचालनरत है, जिसमें 64,741 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की सूचना प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्रों की सूची से हटा दिया है:

भूदरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र (अकुरडे, शेंगाव, हेडवाडे, देवकीवाडी)	52.82 हेक्टेयर (दिनांक 21.08.2025 को अधिसूचित क्षेत्रों की सूची से हटा दिया गया)
शाहूवडे औद्योगिक क्षेत्र (वारूल लोलाने)	61.64 हेक्टेयर (दिनांक 16.06.2026 को अधिसूचित क्षेत्रों की सूची से हटा दिया गया)

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) ने सूचित किया है कि कोल्हापुर एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्रों में कम उपयोग वाले भूखंडों पर फाउंड्री-इंजीनियरिंग या वस्त्र विनिर्माण इकाइयां स्थापित किए जाने को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। आवंटित औद्योगिक भूखंडों का यथा-समय उपयोग किए जाने को बढ़ावा देने के लिए, एमआईडीसी ने दिनांक 21.06.2019 को परिपत्र संख्या सी-05579 जारी किया है, जिसके तहत परिपत्र जारी करने की तारीख के बाद आवंटित प्रत्येक भूखंड के लिए निर्धारित अवधि के भीतर अनुमत फ्लोर स्पेस इंडेक्स का कम से कम 40 प्रतिशत उपयोग करना और भवन निर्माण कार्य पूरा करने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

वस्त्र उद्योग के लिए, वस्त्र मंत्रालय ने सूचित किया है कि एकीकृत वस्त्र पार्क स्कीम (एसआईटीपी) के तहत कोल्हापुर जिले में चार टेक्सटाइल पार्क विकसित किए गए हैं। इन पार्कों में 387 इकाइयां प्रचालन में हैं जो 15,639 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रही हैं।

उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों के संबंध में, कोल्हापुर औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रूप से मध्यम स्तर के इंजीनियरिंग और फाउंड्री उद्योगों के लिए स्कीम के विस्तार के किसी प्रस्ताव का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। पीएलआई स्कीमें 14 अधिसूचित क्षेत्रों के लिए कार्यान्वित की गईं हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि पूरे राज्य में संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोत्साहन पैकेज स्कीम (पीएसआई) कार्यान्वित की गई है। लागू प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के तहत, विनिर्माण क्षेत्र में संलग्न पात्र औद्योगिक इकाइयां, जिनमें इंजीनियरिंग और फाउंड्री उद्योग (एमएसएमई, बड़े उद्योग, मेगा और अल्ट्रा मेगा) शामिल हैं, औद्योगिक संवर्धन सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, विद्युत टैरिफ सब्सिडी और अन्य स्वीकार्य लाभों जैसे वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए पात्र हैं, जो लागू प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के प्रावधानों के अध्यीन है।

प्रोत्साहन पैकेज स्कीम-2019 के तहत, महाराष्ट्र सरकार ने कोल्हापुर जिले की 53 मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयों को 7697.35 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। ये इकाइयां ऑटोमोबाइल घटक, फाउंड्री, वस्त्र और अन्य विनिर्माण उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रचालनरत हैं, जिससे औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है।

महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 31.12.2025 को महाराष्ट्र उद्योग, निवेश और सेवा नीति, 2025 की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य इस नीति की अवधि के दौरान लगभग 50 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है।

******